

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिखा से रुंग तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3 कि०मी)

दन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिखा, तहसील- धारचूला, जिला- पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाणपत्र

उत्तराखण्ड नें जनपद - पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिखा से रुंग तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3 कि०मी) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, ०.45० हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल ०.45० हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट, विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिखा द्वारा दिनांक 2-5-2015 का सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिखा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमिनिर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत सिखा
धारचूला (पिथौरागढ़)



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की किसी भी प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 21/5/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - सिर्खा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हिरेंद्र सिंह पाणिपाल	Hirendra Singh
2	हरचरण सिंह	हरचरण सिंह
3	कु. नरनारायण	कु. नरनारायण
4	संजय सिंह दयाली	Sanjay Singh
5	जसपाल सिंह	Jaspal Singh
6	विरेन्द्र सिंह	Virendra Singh
7	जगदीश सिंह	Jagdish Singh
8	मान-दामोदर	मान-दामोदर
9	राजेश सिंह	Rajesh Singh
10	रविशंकर	Ravishankar
11	देवराज	Devraj
	पान सिंह वमा	Pan Singh
	जीवन वमा	Jeevan Vama
	इसर	Isar
	जसपाल सिंह	Jaspal Singh



ह0/-
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रंग तक मोटर मार्ग का निर्माण।(लम्बाई 3 कि०मी)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रंग तक मोटर मार्ग का निर्माण।(लम्बाई 3 कि०मी)
 (~~शून्य~~ हे० आरक्षित वन भूमि, ~~0.450~~ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, ~~शून्य~~ हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ~~0.450~~ हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - धारचूला) की दिनांक 20-5-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~रु.के.पांडेय~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| 1- | श्री रु.के.पांडेय | उपजिलाधिकारी - धारचूला | अध्यक्ष |
| 2- | श्री रुम.रुस.सेमिया | उप प्रभागीय वनाधिकारी - धारचूला | सदस्य |
| 3- | श्री जीत रमा | सहायक समाज कल्याण अधिकारी - धारचूला | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री पेशरवा | बी०डी०सी० क्षेत्र 05 जपकोट का साहा | सदस्य समाज कल्याण अधिकारी धारचूला-(पिथौरागढ़) |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रंग तक मोटर मार्ग का निर्माण।(लम्बाई 3 कि०मी)। परियोजना हेतु ~~0.450~~ हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी ~~श्री रुम.रुस.सेमिया~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनुरक्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रंग तक मोटर मार्ग का निर्माण।(लम्बाई 3 कि०मी) परियोजना के निर्माण हेतु ~~0.450~~ हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट

प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-धारचूला,
जनपद - पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

देशमुखी
सदस्य
सहायक 05 जयकोट
विभाग धारचूला (पिथौरागढ़)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-धारचूला
जनपद - पिथौरागढ़

राजस्व
उप निरीक्षक
क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला पिथौरागढ़

तहसीलदार
धारचूला

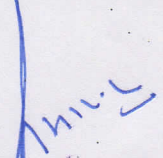
उप जिलाधिकारी
धारचूला

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रुंग तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3 कि०मी०)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रुंग तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 3 कि०मी०। परियोजना के निर्माण हेतु 0.450 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग परगना प्रयागता एजेंसी को प्रत्यवर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धारचूला तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व सलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रूंग तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3 कि०मी०)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद -- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रूंग तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3 कि०मी०)
। परियोजना के निर्माण हेतु ०५५० हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईप लाइन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

FROM -1
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAGARH

No.

Dated 20-5-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.450** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Narayan Ashram to Himkhola Road Construction Division P.W.D. Askote (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdiction of **Sirkha, Sirdaang, Rung village(s)** in Dharchula Tahsils.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire **0.450** hectares area proposed for diversion A copy of records of all consolation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub- division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural at communities

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)

पिथौरागढ़ जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

It is further certified that :

Sl. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.450 hect. Of forest area proposed for diversion . a copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging tot scheduled tribes and other Traditional Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of oncerned motor road os affixed the the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)

डा. पंडित
विश्वराज

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT- PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights)
act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Sushil Kumar I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 9.7.2015 at time 11:30....at Pithoragarh in which application claiming rights of Sosa area measuring 0.450.. hect for the construction of Sirdhang-Sirkha-Roong Motor Road 3.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dharchula sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place-Pithoragarh

Dated: 09.7.2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

उत्तराखण्ड
पिथौरागढ़